प्रेस विज्ञप्ति

14/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर जहूर शाह और नीरज शर्मा तथा मेसर्स पर्पल मार्टिनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक राजेश कुमार के परिसरों में चलाया गया। इन तलाशियों में लगभग 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी वाले क्रिप्टो वॉलेट मिले, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न भूमि भूखंडों में नकदी निवेश के संकेत देने वाले नोट्स और डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद किए गए।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा यशवंत सावंत और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उन पर अंजुना, गोवा में सर्वे संख्या 496/1-ए स्थित अंजुना कम्यूनिटी की जमीन को कथित रूप से धोखाधड़ी करके हड़पने का आरोप है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष फर्जी और जाली दस्तावेज पेश करके उक्त जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराया और बाद में इसके कुछ हिस्से दूसरे लोगों को बेच दिए, जिससे अपराध से आय (पीओसी) अर्जित हुई।

इससे पहले, 09.09.2025 को, ईडी ने तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप शिवशंकर मायेकर और अन्य लोगों द्वारा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर धोखाधड़ी से अर्जित कई ज़मीनों की पहचान हुई थी। कई लाख वर्ग मीटर में फैली ये संपत्तियाँ गोवा के बर्देज़ तालुका के अंजुना और असगाओ जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके बाद, शिवशंकर मायेकर को इन ज़मीनों के अवैध अधिग्रहण में शामिल होने के आरोप में 01.10.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया।

नवीनतम तलाशी अभियान के दौरान, ईडी को गोवा में कई ज़मीनों से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) और पट्टा समझौतों सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ मिले हैं। ये दस्तावेज़ ज़मीन हड़पने के मामले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बीच हस्ताक्षरित थे। गोवा में ज़मीन से जुड़ी अवैध गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए जाँच जारी है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।